''नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व''

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (vii) के अंतर्गत)

विभागीय परामर्शदात्री का परिपत्र

96 पंजी क्र. 775/2022
दिनांक 28/04/2022

मध्यप्रदेश शासन
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक 479 /एफ-2-गठन-5/2021/एक/अड़तालीस, भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल, 2022

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

27/4

विषय:- विभागीय परामर्शदात्री की बैठक रखने के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 188/एफ-2-गठन/5/2021/एक/अड़तालीस, दिनांक 13.4.2022.

...

संदर्भित पत्र के साथ आपके विभाग के लिए गठित परामर्शदात्री समिति की सूची तथा समितियों के कार्यकरण को विनियमित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत की प्रति भेजी गई थी।

2. मार्गदर्शक सिद्धांत का पद 6 (1) निम्नानुसार है –
"सामान्यतया प्रत्येक समिति की बैठक वर्ष में चार बार रखी जाएगी, जिनमें से दो बैठकें अनिवार्य होंगी"
3. आपके विभाग की परामर्शदात्री समिति की अब तक कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है।
4. अनुरोध है कि नियमानुसार बैठकें आयोजित कराने का कष्ट करें।

(महेन्द्र सोनूने)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
संसदीय कार्य विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /एफ-2-गठन-5/2021/एक/अड़तालीस, भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि- समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्यमंत्री जी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
संसदीय कार्य विभाग

27.4.2022

क्रमांक /एफ-2-गठन-5/2021/एक/अड़तालीस,

मध्यप्रदेश शासन
संसदीय कार्य विभाग

प्रेषक:-

महेन्द्र सोनूने,
उप सचिव

प्रेषिती,

माननीय श्री/श्रीमती
मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य,
क्षेत्र क्रमांक -

भोपाल, दिनांक फरवरी, 2022

विषयः- शासन के विभिन्न विभागों के लिए परामर्शदात्री समिति का गठन वर्ष 2022-2023.

...

महोदय,

आपको संलग्न सूची में दर्शाये गये विभाग की परामर्शदात्री समिति में सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।

2. परामर्शदात्री समिति के मार्गदर्शक सिद्धांत की प्रति आपके उपयोगार्थ संलग्न प्रेषित है।

(माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः- (1) परामर्शदात्री समिति की सूची।
(2) मार्गदर्शक सिद्धांत।

(महेन्द्र सोनूने)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
संसदीय कार्य विभाग

पृ.क्रमांक 190 /एफ-2-गठन/5/2021/एक/अड़तालीस, भोपाल, दिनांक 17 फरवरी, 2022

प्रतिलिपि –

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल,

(2) विशेष सहायक/निज सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी/मंत्री जी/राज्यमंत्री जी,

.....विभाग, भोपाल,

की ओर परामर्शदात्री समिति की सूची तथा मागदर्शक सिद्धान्त की एक-एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

(महेन्द्र सोनूने)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
संसदीय कार्य विभाग

(31) सहकारिता/लोक सेवा प्रबंधन विभाग

माननीय डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया- मंत्री

स.क्र.	माननीय सदस्य	क्षेत्र क्र
1	श्री शिवदयाल बागरी	59
2	श्री शिवनाराण सिंह	89
3	श्री संजय सत्येन्द्र पाठक	92
4	श्री सचिन बिरला	182
5	श्री महेश परमार	214

परामर्शदात्री समितियों के गठन तथा कार्यकरण को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

परामर्शदात्री समितियां (Consultative Committees) विधान सभा की स्थायी समितियों (Standing Committees) के तुल्य नहीं होंगी तथा इन समितियों के विमर्श अनौपचारिक रहेंगे और उनके सम्मिलनों में की गई चर्चाओं का कोई उल्लेख सदन में नहीं किया जाएगा।

2. सरकार इन समितियों की सदस्य संख्या सत्ताधीन दल तथा विरोधी दल के सदस्यों से सीधा संपर्क साधकर उनके द्वारा दिए गए प्राधान्य को ध्यान में रखते हुए नियत करेगी। प्रत्येक सदस्य, वह किन-किन समितियों के सदस्य के रूप में रहना चाहता है, इस संदर्भ में अपना प्राधान्य दर्शाएगा और प्रत्येक से इस प्रकार तीन प्राधान्य मांगे जाएंगे। एक सदस्य एक ही समिति में रह सकेगा।

3. समिति के किसी सदस्य की विधान सभा की सदस्यता समाप्त होने अथवा मंत्री पद पर नियुक्त होने पर उसकी उस समिति से सदस्यता समाप्त हो जाएगी और यह आवश्यक नहीं होगा कि उस सदस्य के स्थान पर किसी अन्य सदस्य को नामांकित किया जाए।

4. प्रत्येक विभाग का संबंधित मंत्री अपने विभाग से संबद्ध परामर्शदात्री समिति के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा। जब कभी साधारण कारणों से यह संभव न हो तो सम्मेलन की अध्यक्षता विभाग के राज्य मंत्री या राज्य मंत्री की अनुपस्थिति में उपमंत्री द्वारा की जाएगी अन्यथा सम्मिलन मुल्तवी कर दिया जाएगा। परामर्श समिति की बैठक की कार्यवाही जारी रखने हेतु कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। यदि बैठक में एक भी सदस्य उपस्थित हुआ तो बैठक सम्पन्न हो सकेगी। यदि दो या दो से अधिक विभागों की संयुक्त समिति बनाई जाती है, जिनके प्रभारी मंत्री पृथक-पृथक हैं, ऐसी समिति की अध्यक्षता समिति के विभागों से संबंधित प्रभारी मंत्रियों में से उपलब्ध वरिष्ठतम मंत्री द्वारा की जाएगी। उनकी अनुपस्थिति में समिति की अध्यक्षता विभागों से संबंधित प्रभारी राज्य मंत्रियों में से वरिष्ठतम राज्यमंत्री द्वारा की जाएगी। प्रभारी मंत्री/राज्यमंत्री की अध्यक्षता में विभागों की पृथक-पृथक बैठक भी आयोजित की जा सकेगी। किसी मंत्री का विभाग बदलने पर वह केवल उससे संबद्ध विभाग की परामर्श समिति का अध्यक्ष रह सकेगा। इस परिवर्तन को संसदीय कार्य विभाग का सचिव अधिसूचित करेगा।

5. (1) समितियों की बैठकों की तिथि, समय तथा स्थान, संबंधित विभाग, समिति के अध्यक्ष से निश्चित कराकर, बैठक की प्रस्तावित तिथि से 15 दिन पूर्व अथवा कम समय उपलब्ध होने पर दूरभाष/फैक्स से समिति के नियमित सदस्यों को सूचित करेगा तथा उसकी सूचना संसदीय कार्य विभाग को भी देगा। बैठक स्थगित होने की सूचना भी संबंधित विभाग द्वारा ही दी जाएगी।

(2) बैठकों में चर्चा के लिए सुझाव आदि सदस्यों द्वारा संबंधित विभाग को सीधे भेजे जाएंगे तथा संबंधित विभाग बैठक की कार्य सूची विस्तृत टीप के साथ तैयार कर समिति के सदस्यों को तथा संसदीय कार्य विभाग को बैठक से कम से कम दो दिन पूर्व वितरित करेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परामर्श समिति की बैठक में संबंधित विभाग द्वारा एक नीति विषयक प्रश्न पर भी एक संक्षेपिका बनाकर रखी जा सकेगी ताकि माननीय सदस्य द्वारा उस पर विचार-विमर्श कर राय दी जा सके और शासन की नीति को अंतिम रूप देने में मदद मिले।

(3) यदि समिति के सदस्य से भिन्न कोई सदस्य किसी विशिष्ट समिति की बैठक में चर्चा के लिये किसी बात का सुझाव दे तो उसे बैठक में इन शर्तो के अध्यधीन रहते हुए आमंत्रित किया जा सकेगा कि वह ऐसी बैठकों में उपस्थित होने के लिए किसी यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते पाने का हकदार नहीं होगा। तथापि नियमित सदस्य अंतःसत्रीय कालावधि के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थित रहने के लिये प्रशासकीय आदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते पाने के हकदार रहेंगे।

6. (1) सामान्यतया प्रत्येक समिति की बैठक वर्ष में चार बार रखी जाएगी, जिनमें से दो बैठकें अनिवार्य होंगी।

(2) परामर्श समिति की बैठक भोपाल में ही आयोजित की जाना चाहिये। यदि किन्ही कारणों से भोपाल से बाहर किन्तु राज्य के अंदर बैठक रखना आवश्यक हो तो संबंधित विभाग के मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में अनुमति प्राप्त करेंगे।

(3) परामर्श समिति की बैठक में सचिव व विभागाध्यक्ष ही उपस्थित रहेंगे। यदि संबंधित विभाग के सचिव की दृष्टि में बैठक में अन्य किसी अधिकारी की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक हो तो वे उनकी उपस्थिति के लिए प्रभारी मंत्री जी से अपवाद के रूप में अनुमति प्राप्त कर लेंगे।

11. समितियों का गठन अथवा पुनर्गठन सामान्यतः बजट सत्रों के समय ही किया जायगा। यह कार्य संसदीय कार्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किया जाएगा। परन्तु समितियों में अन्य किसी भी प्रकार का संशोधन, जैसे - मंत्रि-मण्डल में फेरबदल के फलस्वरूप समितियों की सूचियों में संशोधन अथवा उप-चुनावों में निर्वाचित हुए सदस्यों का विभिन्न समितियों में मनोनयन आदि संसदीय कार्य मंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा। संसदीय कार्य विभाग इन समितियों के गठन/पुनर्गठन अथवा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन को अधिसूचित करेगा। समितियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

12. इन समितियों में विधान सभा सदस्य ऐसे किसी भी विषय या विषयों पर चर्चा कर सकेंगे जिन पर कि यथोचित रूप से विधान सभा में चर्चा की जा सकती हो। तथापि सदन में ऐसी किसी बात को, जो परामर्श समितियों में हुई हो, उल्लेख करना वांछनीय नहीं होगा।

17.2.2022

(महेन्द्र सोनूने)
उप सचिव
संसदीय कार्य विभाग